

15 03  
24

प्रिन्सल तहकी प्रा.पत्र प्रस्तुत होने के पत्रारक्षण  
 पत्रावली निर्माण तारीख पेशी से ठीककर राज-मासका  
 में पेश हुआ। तारीख तारीख अप.। अखरी सं. 17 से 20  
 तक अप.। अखरी सं. 17 से 20 की ओर से हाइल हा.पत्र  
 अन्तिम धारा 151 CPC के अंतर्गत में निर्देश दिए गए कि  
 प्रथमतः आरजी पर मासका द्वारा दिनांक 25.10.2023 को  
 अन्तिम अखरी निर्देशों को जारी किए जाने के कारण  
 तहकीलवार द्वारा नई धारा का मासका भी जारी  
 जा रहा है। अतः अखरी सं. 17 से 20 की प्रथमतः आरजी  
 में धारा का मासका सुनवाई की एक तह अनुमति  
 पत्र की जाए। अखरी सं. 17 से 20 की ओर से हाइल  
 अन्तिम धारा पर अन्तिम धारा की 'आरजी' की  
 अन्तिम धारा पर अन्तिम धारा की 'आरजी' की अपनी  
 सुनवाई की जाए। अतः अखरी सं. 17 से 20 की ओर से  
 हाइल अन्तिम धारा 151 CPC के अन्तिम धारा  
 द्वारा है एवं मासका द्वारा दिनांक 25.10.2023 को  
 जारी अन्तिम अखरी निर्देशों में 'आरजी' की सुनवाई  
 पत्र की जाए। अखरी सं. 17 से 20 की प्रथमतः आरजी  
 में अपनी धारा का मासका सुनवाई तह अनुमति  
 पत्र जारी है। पत्रावली से अन्तिम धारा की तहकी तहकीलवार  
 में निर्देशों तारीख पेशी पर दिनांक 19.04.24 को पेश  
 हो।

आत सख्त पुना के द्वारा  
 हमें से तहकीलवार आदेशों की  
 पालना में दिनांक 20.04.24 को पेश हो।

19 4  
24

20 05  
24

प्रकरण से संबंधित सुनवाई पत्रावली में प्रिन्सल तहकीलवार  
 हाइल कर दावा विद्वां किने जाने के कारण इस पत्रावली का  
 प्रथम से 'आरजी' में रहने का कोई निर्देश नहीं दिया गया  
 है। अतः प्रकरण से संबंधित सुनवाई पत्रावली में  
 मासका के आधार पर खारिज हो जाने के कारण इस पत्रावली  
 को भी खारिज किया जा रहा है। पत्रावली के तहकीलवार तहकीलवार  
 नम्बर को सख्त है।

तपखण्ड अधिकारी  
 चौसा (राजो)